कृषि विभाग

बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान (बामेती), बिहार, पटना

किसान भाइयों/बहनों के लिए आवश्यक सूचना

आत्मा योजना अंतर्गत किसान पुरस्कार कार्यक्रम हेतु आवेदन पत्र का आमंत्रण

सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन (आत्मा योजना) 2020-21 के तहत् किसान पुरस्कार कार्यक्रम अंतर्गत रबी मौसम में जिलावार क्षेत्र विशेष फसल गेहूँ, आलू, मक्का, मखाना, अनानास, लीची, पपीता, प्याज तथा गायपालन (संकर नस्ल/देसी), बकरीपालन (ब्लैक बंगाल) एवं मत्स्यपालन प्रक्षेत्र में (मिश्रित मत्स्यपालन एवं पंगेशियस) पुरस्कृत करने हेतु किसानों के चयन के लिए इच्छुक किसान भाइयों/बहनों से ऑन-लाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

1. किसान अपना ऑन लाइन आवेदन पत्र परियोजना निदेशक, आत्मा/प्रखंड अंतर्गत ई-किसान भवन/वसुधा केन्द्र एवं अन्य जगहों से भी भर सकते हैं। एक किसान एक से अधिक प्रक्षेत्र के लिए भी आवेदन पत्र दे सकते हैं।
2. ऑन लाईन आवेदन पत्र www.bameti.org अथवा https://dbtagriculture.bihar.gov.in/ के पोर्टल पर जाकर भरा जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी "आत्मा योजना अंतर्गत किसान पुरस्कार कार्यक्रम 2020-21 के लिए आवेदन पत्र" पर क्लिक कर उपर्युक्त साईट/पोर्टल पर अपना आवेदन पत्र भरेंगे।
3. किसान पुरस्कार खरीफ मौसम में धान एवं रबी मौसम में जिलावार क्षेत्र विशेष व्यवसाय/प्रक्षेत्र (गेहूँ, आलू, मक्का, मखाना, अनानास, लीची, पपीता, प्याज, गायपालन (संकर नस्ल/देशी), बकरीपालन (ब्लैक बंगाल) तथा मत्स्यपालन (मिश्रित मत्स्यपालन एवं पंगेशियस) के लिए दिया जाएगा। किसानों के चयन का आधार संबंधित प्रक्षेत्र में प्रति इकाई केवल अधिकत्तम उत्पादकता रखी गई है।
4. उपर्युक्त संबंधित प्रत्येक क्षेत्र/व्यवसाय में अधिकत्तम उत्पादकता प्राप्त करने वाले प्रखंड स्तर पर क्षेत्र विशेष क्षेत्र/व्यवसाय में 01-01, जिला स्तर पर क्षेत्र विशेष क्षेत्र/व्यवसाय में 01-01 तथा राज्य स्तर पर 01-01 किसानों का चयन किया जाएगा। चयनित किसानों को समारोह आयोजित कर निम्न रूपों में पुरस्कृत एवं सम्मानित किया जायेगा :-

क्र0सं0	स्तर	पुरस्कार का विवरण (प्रति किसान)			पुरस्कार की कुल संख्या
		नगद	प्रशस्ति पत्र	पुरस्कार का प्रकार	
1.	प्रखंड	10,000 रू0	01 अदद्	किसान श्री	534x4=2136
2.	जिला	25,000 रू0	01 अदद्	किसान गौरव	38x4=152
3.	राज्य	50,000 रू0	01 अदद्	किसान श्रेष्ठ	04

1. किसान पुरस्कार हेतु क्षेत्र/व्यवसाय, शर्तें, किसान की पात्रता तथा आवेदन देने एवं चयन की प्रक्रिया कृषि विभाग के वेबसाईट www.krishi.bih.in अथवा बामेती के वेबसाईट www.bameti.org पर उपलब्ध है। इसे संबंधित जिला के जिला कृषि पदाधिकारी/परियोजना निदेशक, आत्मा तथा प्रखंड कृषि पदाधिकारी से भी प्राप्त किया जा सकता है।
2. रबी मौसम के लिए जो बढ़ाकर कृषि एवं उद्यानिक फसल में ऑन लाईन आवेदन देने की तिथि 25 नवम्बर, 2020 से 25 दिसम्बर, 2020 तक निर्धारित की गई थी, जिसे बढ़ाकर 31 जनवरी, 2021 कर दी गयी है। पशुपालन प्रक्षेत्र में गायपालन (संकर नस्ल / देसी) एवं बकरीपालन (ब्लैक बंगाल) में ऑनलाईन आवेदन देने की तिथि 25 नवम्बर, 2020 से 20 दिसम्बर, 2020 थी, जो बढ़ाकर 31 जनवरी, 2021 कर दी गयी है एवं मत्स्यपालन में ऑनलाईन आवेदन देने की तिथि 15 फरवरी, 2021 से 15 मार्च, 2021 तक निर्धारित की गई है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

रबी मौसम के लिए क्षेत्र विशेष क्षेत्र/व्यवसाय यथा गेहूँ/आलू /मक्का/मखाना /अनानास, /लीची/पपीता/प्याज/गायपालन (संकर नस्ल/देशी) तथा मत्स्यपालन (मिश्रित मत्स्यपालन एवं पंगेशियस)/गायपालन (क्रॉस ब्रीड/देसी)/बकरीपालन (ब्लैक बंगाल)/मत्स्यपालन में आवेदक द्वारा संसूचित परिपक्वता तिथि के अनुसार उत्पादकता मूल्यांकन समिति द्वारा जाँच कर उत्पादकता निर्धारित की जायेगी।

3. किसान पुरस्कार कार्यक्रम के लिएं निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर ही पुरस्कार देय होगा।

कार्यक्रम के संबंध में विशेष जानकारी के लिए किसान भाई/बहन अपने जिला के जिला कृषि पदाधिकारी/परियोजना निदेशक, आत्मा/जिला पशुपालन पदाधिकारी/जिला मत्स्य पदाधिकारी/सहायक निदेशक, उद्यान/प्रखंड कृषि पदाधिकारी/प्रखंड तकनीकी प्रबंधक/सहायक तकनीकी प्रबंधक/प्रखंड उद्यान पदाधिकारी/कृषि समन्वयक/किसान सलाहकार से संपर्क कर सकते हैं।

निदेशक
बामेती, बिहार, पटना

PR. No. 011077(Agriculture) 2020-21